



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222180  
CG-DL-E-01102020-222180

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942

No. 404]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

फा. सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/9-कैपसीजीडीरेग/(1)/2020 (P-2138.)—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का क्षमता निर्धारण) विनियम, 2015 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का क्षमता निर्धारण) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का क्षमता निर्धारण) विनियम, 2015 के विनियम 6 के खंड (ग) में:

- (i) “वेबसाइट” शब्द से पूर्व “अपनी” शब्द यथावत रहेगा;
- (ii) अंत में निम्नलिखित परंतुक सम्मिलित होगा, नामतः:-

“बशर्ते, जब तक बोर्ड नगर गैस वितरण नेटवर्क की क्षमता की घोषणा करता है तब तक कंपनी उसके द्वारा निर्धारित नगर गैस वितरण नेटवर्क की क्षमता को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए पहुँच संहिता) विनियम, 2011 के अनुरूप अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी, जिसे बोर्ड द्वारा घोषित क्षमता के रूप में माना जाएगा।”

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./263/2020-21]

**पाद टिप्पणी:** मूल विनियम फा. संख्या इंफ्रा/पीएनजीआरबी/कैपडेट/सीजीडी/02/2015, दिनांक 9 मई, 2015 के माध्यम से शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

## PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2020

**F. No. PNGRB/Tech/9-CapCGDReg/(1)/2020 (P-2138).**—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, hereby makes the following regulations, to further amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2015, namely: -

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of City or Local Natural Gas Distribution Network) Amendment Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In clause (c) of Regulation 6 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory (Determining Capacity of City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2015:

- (i) The word “their” shall be substituted by the word “its”;
- (ii) At the end, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that, until the time, the Board declares the capacity of CGD Network, the entity shall publish the capacity of CGD Network as determined by it, under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2011, on its website, which shall be deemed as Board declared capacity.”

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.- III/4/Etxy./263/2020-21]

**Footnote:** Principal regulations were notified in the official gazette vide F. No. Infra/PNGRB/Capdet/CGD/02/2015, dated 9th May, 2015.